रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2017/आषाढ़ 13, 1939
No. 592] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2017/ASADHA 13, 1939

## वित्त मंत्रालय

**(राजस्व विभाग)**

**(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई,2017

आयकर

**सा.का.नि. 826(अ)**.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 195 सपठित धारा 295 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 29ख के उपनियम (1), खंड (i) में शब्दों "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के स्थान पर "प्रतिभूतियों पर ब्याज (193 के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर संदेय ब्याज से भिन्न)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जायेगा।

3. उक्त नियमों के प्ररूप संख्या 15ग में शब्दों "प्रतिभूतियों पर ब्याज" जहां वे आते हैं, के स्थान पर "प्रतिभूतियों पर ब्याज (धारा 193 के परन्तुक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर संदेय ब्याज से भिन्न)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जायेगा।

[अधिसूचना सं. 59/2017/फा॰ सं. 370142/8/2017-टीपीएल]

लक्ष्मी नारायणन्, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

**टिप्पण:** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गये थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 821(अ), तारीख 03.07.2017 को अंतिम संशोधन किया गया था ।